

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 8/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 28 जनवरी 2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 32/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.07.2019, का.आ.2684 (अ) दिनांक 26.07.2019 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 1 के स्तंभ सं. 3 में मौजूद प्रविष्टि को "फा. सं. DRI/MZU/CI/Int-169/2018 दिनांक 05.07.2019, दिनांक 17.12.2019 के पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-26/2019-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
2. प्रधान/अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट को उनके पत्र सं. DRI/MZU/CI/Int-169/2018 दिनांक 07.01.2020 के संदर्भ में एवं इस निवेदन के साथ कि नोटिसी को परिवर्तन के बारे में सूचित करें।